महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-3/2018/243/एक-2-2018-10(सामान्य)/2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषयः- प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों में खेलकूद आदि गतिविधियों के लिए ग्रामसभा की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

खेल, बच्चों और युवाओं के सशक्त विकास का एक माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढावा देने के लिये खेलकूद हेतु भूमि आरक्षित होना आवश्यक है। अधिकांश ग्रामों में पूर्व से ही खेल के मैदान/क्रीड़ास्थल/खेलकूद हेतु भूमि आरक्षित की गयी है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज भी है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित मैदान या क्रीड़ास्थल कहीं-कहीं पर अतिक्रमित हैं अथवा खेल के लिए उपयोगी नहीं हैं। राजस्व ग्रामों में खेल के मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके अनुरक्षण एवं विकास के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में राजस्व परिषद के परिषदादेश संख्या-आर-3123/जी-5-39ए/2013, दिनांक 03 अक्टूबर 2013 द्वारा राजस्व ग्रामों में कम से कम एक एकड़ की भूमि आरक्षित करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में बच्चों के खेलने के लिए आरक्षित खेल के मैदान को यदि अतिक्रमित किया गया हो तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खेलकूद हेतु उपयोगी बनाया जाए। यदि कोई भूमि इस प्रयोजन हेतु ग्राम में आरक्षित नहीं है तो एक उपयुक्त स्थल को आरक्षित कराते हुए उस राजस्व ग्राम में खेल के मैदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4- इस संबंध में संलग्न प्रारूप पर अपने जनपद से संबंधित कृत कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना (दिनांक 26 फरवरी 2018 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह से) नियमित रूप से राजस्व परिषद के ई-मेल-borlko@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाए तथा प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान की व्यवस्था दिनांक 20-03-2018 तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2018/243(1)/एक-2-2018, तद् दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश अपने स्तर से भी जारी कराने का कष्ट करें साथ ही जनपदवार/मण्डलवार प्रगति की सूचना प्रति सप्ताह संलग्न प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,
सुधीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रत्येक राजस्व ग्राम में खेल के मैदान आरक्षित किये जाने की व्यवस्था किये जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूपः-</u>

क्र0सं0	जनपद का नाम	राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्राम जिनमें खेल के मैदान उपलब्ध हैं।	अतिक्रमित मैदानों की संख्या	अतिक्रमण से मुक्त कराये मैदानों की संख्या	नये बनाये गये मैदानों की संख्या	कुल मैदानों की संख्या	अवशेष राजस्व ग्राम जिनमें खेल का मैदान चिन्हित/विकसित नहीं हो पाया है।	अभियुक्ति यदि कोई है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।